न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 11/2016

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर		1 श्री रामप्रकाश भूतडा पुत्र पुखराज भूतडा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बाजार, रायपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री रामप्रकाश भूतडा, अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 6/11/2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन अजमेर के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 27.10.2015 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, मैन बाजार, रायपुर जिला पाली से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां बिक्री हेतु रखे हुए मूंगफली तेल में से 1600 मि.ली. मूंगफली का तेल वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा मूंगफली तेल को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–393 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया मूंगफली तेल को Sub Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standard मूंगफली का तेल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में वर्णित सामग्री मैसर्स घीसूलाल उद्योग ब्यावर जिला अजमेर से पैकींग डिब्बों में क्रय किया जाता है, जिसमें मिलावट सम्बन्धी किसी प्रकार की जानकारी अप्रार्थी को नही है। अतः कम से कम जुर्माना से दण्डित कराने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.10.2015 को अप्रार्थी की फर्म से मूंगफली का तेल क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–393 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./840/एक्ट/2015/839 दिनांक 06.11.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–393 को Sub Standard माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub Standard खाद्य वस्तु मूंगलफी तेल का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 1,50,000/– अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली